FORM NO 3

न्यायालय : सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी सांचौर

प्रार्थीगण — बनाम — अप्रार्थीगण

वेलाराम s/o रामाराम जाति-कलबी नि-लुणियासर त-सांचोर — मोगाराम s/o खंगारराम जाति-कलबी नि-लुणियासर तह-सांचोर वगैरा

मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा

मुकदमा नम्बर 02/2021

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख के जारी हुये
20/6/022	प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के विरूद्व धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत मय शपथ पत्र के निर्धारित प्रारूप में इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर का उल्लेख 297,297/842,937/293,319 तथा जिन खसरा नम्बर से रास्ता चाहा गया है, उनका उल्लेख है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं(1)क,2,3,4,(5)क,ख,ग,घ,ड़,च,छ,ज,झ,(7)क,ख,ग,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,(22)क,ख,ग,घ,ड़,(23)क,ख,ग,घ, 24, 25, 26, 27 28, 29 (30)क,ख,ग,घ,ड़,च,31, (32)क,ख, के अधिवक्ता श्री नरसीराम चौधरी व श्री रघुवीरसिंह के द्वारा वकालतनाम पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संखया.(5),क,ख,ग,घ,ड़,च,छ,ज,झ,6,(7)क,ख,ग,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,(22)क,ख,ग,घ,ड़,(23)क,ख,ग,घ,ड़,च, 31,(32)क,ख, के जवाब पेश किये। जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या (1)ख,ग,घ,ड़, व 8 बावजूद तामील सूचना के अनुपस्थितं। एक—एक कर तीन बार आवाज लगाई गई, बावजूद कोई उपस्थित नही हुआ। अप्रार्थी संख्या (1)ख,ग,घ,ड़, व 8 इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उक्त पत्रावली में भूमिधारी तहसीलदार से नजरी नक्शा मय मौका रिपोर्ट ली जाकर। जो शामिल की गई। अप्रार्थी संख्या 33 ता 37 को जरिये रजि. एडी.नोटिस भेजा गया। जिसकी रजि.एडी की रसिद शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार सांचौर से तलब करने पर मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार मौके पर वर्तमान में रास्ता चल रहा है वर्तमान में ग्रेवल सड़क बनी हुई है। मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम लुणियासर पटवार हल्का नानोल भू.अ.निरीक्षक पांचला तहसील सांचौर के खसरान व किस्म निम्नानुसार है—	

खसरा नम्बर	कुल रकबा हैक्टर	प्रस्तावित रकबा हैक्टर	किस्म
386	0.26	0.26	गै.मु. दर्ज
1120/351	0.48	0.04	बारानी प्रथम
351	1.92	0.08	बारानी प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2022.10.04 11:26:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned by CamScanner

1113/351	0.28	0.11	बारानी प्रथम
1116/350	0.09	0.03	बारानी प्रथम
1119/931	0.16	0.04	बारानी प्रथम
308	0.15	0.15	गै.मु. रास्ता खातेदार में दर्ज
301	0.29	0.29	गै.मु. रास्ता खातेदार में दर्ज
307	0.10	0.10	गै.मु. रास्ता खातेदार में दर्ज
294	0.23	0.23	गै.मु. रास्ता खातेदार में दर्ज
347	0.18	0.18	गै.मु. खातेदार में दर्ज

प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधि.1955 की धारा 251–ए के अन्तर्गत अपनी आराजी ख.नं.297,297/842,937/842,937/293 एवम् 319 तक पहुँचने हेतु नवीन रास्ते की मांग की है। धारा 251–ए में उपबन्धित है कि नवीन मार्ग हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव होना चाहिए। किन्तु दिनांक 12.01.2022 को भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार तथा तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की आराजी तक पहुँचने हेतु प्रस्तावित मार्ग ग्रेवल सड़क के रूप में मौके पर विधमान है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित ख.न. 308,307,301,294 खातेदारी भूमि में से पूर्व से ही कटाण गै.मु.रास्ता अंकित है तथा ख.न. 347 व 386 खातेदारी किस्म गै.मु. के रूप में तथा तरमीम रास्तेनुमा है। अतः हस्तगत प्रकरण राज.काश्तकारी अधि. 1955 की धारा 251–ए के प्रावधानों को सन्तुष्ट नहीं करता है। किन्तु इस तकनीकी त्रुटि के आधार पर प्रार्थीगण के आवेदन को खारिज कर देना न्याय के उद्वेश्य को विफल करेगा, ऐसा न्यायालय का विनम्र अभिमत है। प्रार्थीगण ने अपनी आराजी तक पहुँचने हेतु कटाण रास्ते की मांग की है और भू.अ. निरीक्षक द्वारा तैयार तथा तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित मार्ग मौके पर ग्रेवल सड़क के रूप में स्थायी स्वयं से चालू हैं। (यद्यपि मौका रिपोर्ट अनुसार ख.न. 1120/351 रकबा 0.48 हैक्टर में से 0.04 हैक्टर भी मौके पर रास्ते के रूप (ग्रेवल सड़क) में उपयोग आ रहा है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उक्त ख.न. का उल्लेख नहीं किया है और उक्त के खातेदार को पक्षकार भी नही बनाया है। किन्तु मौके फर्द में उक्त ख.न. 1120/351 के खातेदार के हस्ताक्षर अंकित है एवम् मौके पर रास्ता विद्यमान होने का अंकन है।) राज्य सरकार एवम् राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र/राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 ने ऐसे प्रकरणो के समाधान हेतु व्यवस्था करता है कि राजकीय और निजी खातेदारी भूमि में मौके पर स्थायी रूप से चालू सार्वजनिक रास्ते, जिनका राजस्व रेकार्ड में रास्ते के रूप में अंकन नही है,को राज. भू.राजस्व अधि.1956 की धारा 131/132 तथा राजस्थान [illegible] लेख नियम 1957 के नियम 58 से 60,66 एवम् 86 के प्रावधानान्तर्गत सम्बन्धित [illegible] खातेदारी में ही रखते हुए किन्तु नक्शे एवंम् रेकर्ड में पृथक [illegible] खसरा नम्बर देते [illegible] रास्ते के रकबे सहित किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज की जाएगी। प्रार्थीगण द्वारा चाही गई रा[illegible] राज्य सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अन्तर्गत देय है. एवम् इस हेतु परिपत्र में उपखण्ड अधिकारी को ही अधिकृत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2022.10.04 11:26:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned by CamScanner

अतः पत्रावली व प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड और तहसीलदार सांचौर मय भू.अ.निरीक्षक पांचला व पटवारी हल्का नानोल की मौका रिपोर्ट का पुनः अवलोकन किया गया। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर, दिनांक 10.8. 2016 की पालना में राजस्व भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60,66 एवं 86 के प्रावधानानुसार के अनुसार तहसीलदार सांचौर के द्वारा प्रेषित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा टेस में दर्ज खातेदारान व खातेदारी भूमि मौजा लुणियासर खसरा नम्बर 386 रकबा 0.26 हैक्टर किस्म गै.मु., खसरा नम्बर 1120/351 रकवा 0.04 किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 351 रकवा 0.08 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 1113/351 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, 1116/350 रकवा 0.03 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम खसरा नम्बर 1119/931 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम व खसरा नम्बर 347 रकवा 0. 18 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन प्रस्तावित भूमि को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुये रास्ते के रकवे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बधित खातेदार के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार सांचौर द्वारा भेजी गयी मौका रिपोर्ट एवं नक्शा टेस गुलाबी व हरे रंग में दर्शाया गया आदेश का भाग रहेगा, तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद हेतु तहसीलदार सांचौर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2022.10.04 11:26:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner